अध्याय-III

अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाएं

अध्याय III

3.1 अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिका

पथ निर्माण विभाग

3.1.1 पथ निर्माण हेतु भूमि के अधिग्रहण पर निष्फल व्यय

सड़क चौड़ीकरण के लिए भूमि के अधिग्रहण हेतु, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को अतिरिक्त निधि प्रदान करने में विभाग की असमर्थता और निर्धारित समय के अंदर भू-अर्जन की प्रक्रिया को पूरा करने हेतु, कार्यपालक अभियंता तथा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी के बीच समन्वय की कमी के परिणामस्वरूप, ₹ 19.15 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ

मुख्य अभियंता (सीई), केंद्रीय निरूपण संगठन (सीडीओ), पथ निर्माण विभाग (आरसीडी), राँची द्वारा "कोदम्बरी-मंडरो-रानीडीह-अस्को पथ (लंबाई: 18.85 किमी) का चौड़ीकरण और मजबूतीकरण" कार्य हेतु सितंबर 2011 में ₹ 29.94 करोड़, तकनीकी रूप से स्वीकृत किया गया। परियोजना का प्रशासनिक स्वीकृति, सचिव, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा दिया गया (जनवरी 2012)। प्रति वर्ष 50 प्रतिशत की भौतिक प्रगति के लक्ष्य के साथ, कार्य को दो वित्तीय वर्षों (2011-12 और 2012-13) के अंदर पूरा किया जाना था। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) के अनुसार, मौजूदा सड़क में, 2.5 किमी में कच्चा ट्रैक, कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त पथ-परत, मौजूदा 46 पुलियों का अपर्याप्त वाहन-मार्ग एवं जल-मार्ग और एक संकीर्ण छोटा पुल शामिल था। बेहतर आवागमन के लिए पुलियों और पुल के प्रतिस्थापन के साथ-साथ, संपूर्ण विस्तार/मार्ग पर 3.00 मीटर के वाहन मार्ग की मौजूदा चौड़ाई को 5.50 मीटर तक बढ़ाया जाना था। डीपीआर में, सड़क मार्ग से लगे 30 मीटर तक को आच्छादित करने वाले 20 गांवों की 86.16 एकड़ भूमि के अधिग्रहण हेतु ₹ 8.37 करोड़ का एकमुश्त प्रावधान भी शामिल था।

कार्यपालक अभियंता (ईई), आरसीडी, पथ प्रमंडल, गिरिडीह के अभिलेखों की जांच (सितंबर 2021 और मार्च 2023) से पता चला कि ईई ने सड़क परियोजना के लिए चिह्नित 86.16 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के लिए उपायुक्त, गिरिडीह से अनुरोध (मार्च 2012 और मार्च 2013 के बीच) किया था। जवाब में, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी (डीएलएओ), गिरिडीह ने ₹ 19.15 करोड़ के निधि की मांग की (मार्च 2012 और मार्च 2013), जो ईई द्वारा डीएलएओ को प्रदान कर दिए गए थे (मार्च 2012 और मार्च 2013 के बीच)। तदनुसार, जुलाई 2016 से प्रभावी दरों की निवर्तमान अनुसूची के आधार पर ₹ 51.12 करोड़ (भू-अर्जन के लिए ₹ 19.15 करोड़ सहित) का संशोधित अनुमान, सीई, सीडीओ, आरसीडी द्वारा तकनीकी रूप से स्वीकृत किया गया था (दिसंबर 2016)।

लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि भू-अर्जन की प्रक्रिया में डीएलएओ, गिरिडीह ने आवेदन प्राप्त होने की तिथि से 270 दिनों[1] की निर्धारित समय सीमा से अधिक तक का विलंब किया। डीएलएओ ने 20 गांवों में 86.16 एकड़ भूमि के, अधिग्रहण के लिए अधिसूचनाएँ (अक्टूबर 2012 और जुलाई 2015 के बीच), भू-अर्जन की अधिघोषणा (मार्च 2013 और फरवरी 2016 के बीच) और भू-अर्जन के अधिनिर्णय की घोषणा (जून 2015 और जुलाई 2016 के बीच) विलंब से जारी की, जैसा कि **तालिका 3.1** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.1: भूमि अधिग्रहण के विभिन्न चरणों में विलंब

चरण	विलंब की सीमा (दिनों में)	प्रभावित गांवों की संख्या
भू-अर्जन की अधिसूचना	15 से 1,089	13 गाँव
भू-अर्जन की घोषणा	19 से 520	सभी 20 गाँव
अधिनिर्णय की घोषणा	7 से 964	सभी 20 गाँव

इस बीच, मार्च 2015 में झारखण्ड भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 लागू किया गया। उपायुक्त, गिरिडीह ने सचिव, आरसीडी से नए अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप भू-अर्जन हेतु, ₹ 104.46 करोड़ के पुनरीक्षित प्राक्कलन की स्वीकृति के लिए अनुरोध किया (जून 2017)। आगे, डीएलएओ ने उपलब्ध निधि से ₹ 19.15 करोड़ (मुआवजा: ₹ 15.35 करोड़ और स्थापना: ₹ 3.80 करोड़) का व्यय करके, 20 में से 15 गांवों में, टुकड़ों में, 10.57 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर लिया (सितंबर 2016 और अगस्त 2017 के बीच) और पुनरीक्षित प्राक्कलन के आधार पर शेष ₹ 85.31 करोड़ की अतिरिक्त मांग की। तदनुसार, ईई ने सीई, सीडीओ, आरसीडी को स्वीकृति हेतु ₹ 139.28 करोड़[2] (₹ 104.46 करोड़ सहित अर्थात् भू-अर्जन की पुनरीक्षित लागत) का पुनरीक्षित डीपीआर प्रस्तुत किया (अक्टूबर 2017), जो प्रदान नहीं की गई थी (जून 2024 तक), जिसका कारण अभिलेखों में नहीं था।

इस बीच, अधिग्रहण की उच्च लागत को देखते हुए, सचिव, आरसीडी ने ईई को 30 मीटर के प्रारंभिक प्रस्ताव के विरुद्ध, सड़क से लगे केवल 15 मीटर को आच्छादित करते हुए भूमि के अधिग्रहण के प्रस्ताव को पुनरीक्षित करने का आदेश दिया (अगस्त 2018)। तदनुसार, ईई ने डीएलएओ से, तीन गांवों (मारुडीह, विजयासिंघा और आरागारो) को छोड़कर, जहां भूमि के लिए मुआवजा राशि पहले ही भुगतान कर

---

[1] राजस्व और भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा अधिसूचित (दिसम्बर 2007) समय सीमा: प्रारंभिक जाँच और सत्यापन के बाद भू-अर्जन के लिए अधिसूचना: 63 दिनों तक; आपत्तियों के संकलन और निपटान के बाद भू-अर्जन के लिए घोषणा: 129 दिनों तक; मुआवजे के लिए अनुमानों के अनुमोदन के बाद पंचाट की घोषणा: 255 दिनों तक; और पंचाट राशि का संवितरण और भूमि का कब्जा: 270 दिनों तक

[2] ₹ 104.46 करोड़: भू-अर्जन और गृह व्यय (₹ 85.85 करोड़ + ₹ 18.61 करोड़), ₹ 0.06 करोड़: हैंड पंप, ₹ 2.51 करोड़ बिजली और ₹ 32.25 करोड़: सड़क निर्माण कार्य

दी गई थी, भू-अर्जन की प्रक्रिया को रद्द करने का अनुरोध किया (अगस्त 2018)। तदनुसार, डीएलएओ ने अधिगृहित 10.57 एकड़ भूमि के विवरण के साथ, मूल अधियाचना वापस कर दी (दिसंबर 2020)। हालांकि, अधिगृहित भूमि का उपयोग चौड़ीकरण कार्य में नहीं किया जा सकता था क्योंकि इसे टुकड़ों में/अव्यवस्थित तरीके से अधिगृहित किया गया था, जैसा कि ईई द्वारा देखा गया (फरवरी 2021)।

इसके बाद, मुख्य अभियंता, आरसीडी के अनुदेश पर, ईई ने मौजूदा भू-अधिकारों के अनुरूप ही पथ कार्य पूरा करने हेतु ₹ 35.79 करोड़ (भू-अर्जन पर पहले से किए गए ₹ 19.15 करोड़ सहित) का एक पुनरीक्षित डीपीआर प्रस्तुत किया (अक्टूबर 2020 और जनवरी 2022 के बीच) ताकि कोई भू-अर्जन की आवश्यकता न हो। पुनरीक्षित डीपीआर, मौजूदा सड़क की दयनीय स्थिति और भू-अर्जन प्रक्रिया में देरी के कारण, केवल एकल लेन पथ (अर्थात् 3.75 मीटर चौड़ाई) के लिए जनहित में तैयार किया गया था। सीई, सीडीओ, आरसीडी ने ₹ 35.79 करोड़ के पुनरीक्षित डीपीआर को तकनीकी रूप से स्वीकृति दी (जुलाई 2022)।

एकल लेन पथ का निर्माण कार्य जून 2023 तक पूर्ण करने हेतु, एक संवेदक के साथ ₹ 13.87 करोड़ का एकरारनामा (अक्टूबर 2022) किया गया। जनवरी 2024 तक, ₹ 14.85 करोड़ के भुगतान के विरुद्ध निर्धारित समय के भीतर कार्य पूरा कर लिया गया था।

इस प्रकार, वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2020-21 के दौरान, सड़क चौड़ीकरण के लिए भूमि के अधिग्रहण हेतु आवश्यक ₹ 104.46 करोड़ की अतिरिक्त निधि प्रदान करने में विभाग तथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर भू-अर्जन प्रक्रिया को पूरा करने में डीएलएओ की असमर्थता और आवश्यक 86.16 एकड़ के विरुद्ध केवल 10.57 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के कारण ₹ 19.15 करोड़ का व्यय निष्फल हुआ। इसके अलावा, बेहतर आवागमन के लिए सड़क चौड़ीकरण का उद्देश्य, इसकी स्वीकृति के 10 वर्ष से अधिक बीत जाने के बाद भी, प्राप्त नहीं किया जा सका और अंततः, केवल एकल लेन पथ का निर्माण हुआ।

उत्तर में, ईई ने कहा (सितंबर 2021) कि डीएलएओ, गिरिडीह द्वारा भूमि अधिग्रहण में विलंब के कारण, इसकी लागत बढ़ गई और विभाग द्वारा इसे स्वीकृति नहीं दी गई। डीएलएओ ने कहा (जुलाई 2022) कि नए अधिनियम के अधिनियमन के कारण अधिग्रहण की लागत बढ़ गई थी, जिसके तहत अधिनिर्णय घोषित किया जाना था।

ईई और डीएलएओ के उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं, क्योंकि ईई ने 270 दिनों की समय-सीमा के भीतर भू-अर्जन की प्रक्रिया को पूरा करने हेतु, डीएलएओ के साथ संतोषजनक रूप से समन्वय स्थापित नहीं किया था। डीएलएओ ने भी किसी अधिनिर्णय की घोषणा से पहले, आवश्यक धन की प्राप्ति सुनिश्चित नहीं की थी और भूमि का अधिग्रहण टुकड़ों में किया। इसके अलावा, विभाग ने नए अधिनियम के अधिनियमन के पश्चात पुनरीक्षित मांग के अनुसार, भूमि के अधिग्रहण के लिए आवश्यक निधि प्रदान नहीं किया।

मामला विभाग को प्रतिवेदित की गई थी (नवंबर 2023); उत्तर प्रतीक्षित था (अगस्त 2024)।

3.1.2 पुलों के निर्माण पर निष्फल व्यय

दामोदर और गवई नदियों पर दो पुलों के निर्माण पर हुए ₹ 15.09 करोड़ का व्यय निष्फल रहा, क्योंकि निर्माण कार्य पूरा होने के बाद भी इसे उपयोग में नहीं लाया जा सका, क्योंकि पहुँच पथों के निर्माण के लिए आवश्यक भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जा सका था।

झारखण्ड लोक निर्माण विभाग (जेपीडब्ल्यूडी) संहिता (नियम 132) यह प्रावधान करता है कि, सामान्य मरम्मत जैसे आकस्मिक कार्य के मामले को छोड़कर, कोई कार्य उस भूमि पर शुरू नहीं किया जाना चाहिए, जिसे जिम्मेदार सिविल अधिकारियों द्वारा विधिवत न सौंपा गया हो। आगे, पथ निर्माण विभाग (आरसीडी), झारखण्ड सरकार के आदेशों (अगस्त 2012) के अनुसार, यदि किसी पुल निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता हो, तो संबंधित जिला भू-अर्जन पदाधिकारी (डीएलएओ) से आवश्यक भूमि के विषय में अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ही निविदा आमंत्रित की जानी चाहिए।

मुख्य अभियंता (सीई), केंद्रीय निरूपण संगठन (सीडीओ), पथ निर्माण विभाग (आरसीडी), झारखण्ड द्वारा रामगढ़ और बोकारो जिलों में क्रमशः दामोदर और गवई नदियों पर संपर्क पथ सहित, दो उच्च स्तरीय (एचएल) पुलों[3] के निर्माण के लिए ₹ 18.06 करोड़[4] अनुमोदित किया गया। संवेदकों के माध्यम से, पुलों का निर्माण ₹ 19.57 करोड़[5] की लागत पर शुरू किया गया और ₹ 15.09 करोड़[6] के व्यय के पश्चात, जून 2017 और मार्च 2023 के बीच पूर्ण हुआ। हालांकि, आवश्यक भूमि का अधिग्रहण नहीं कर पाने के कारण, मार्च 2024 तक पहुँच पथ का निर्माण नहीं किया जा सका था, जिसकी चर्चा निम्नलिखित कंडिकाओं में की गई है।

(क) रामगढ़ जिले में हेसापोडा-कुसुमडीह पथ में दामोदर नदी पर एक उच्च स्तरीय पुल का निर्माण।

वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित कठिन और दूरदराज के क्षेत्रों तक निर्बाध संपर्कता प्रदान करने के लिए, भारत सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत "वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों (आरसीपीएलडब्ल्यूईए) के लिए सड़क संपर्कता परियोजना" शुरू की (दिसंबर 2016)। आरसीपीएलडब्ल्यूईए के अंतर्गत, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने दो जिलों, रामगढ़ और बोकारो के कई

---

[3] **पुल** क: गवई नदी के ऊपर, बोकारो जिले के बहादुरपुर-कसमर-पीटरवार-पश्चिम बंगाल सीमा (बीकेपीडब्ल्यूबी) पथ के 22.05 किमी की चेनेज में; पुल ख: रामगढ़ जिले के हेसापोडा-कुसुमडीह पथ में दामोदर नदी के ऊपर

[4] **पुल** क: ₹ 2.30 करोड़ (सितंबर 2014) और पुल ख: ₹ 15.76 करोड़ (अप्रैल 2018)

[5] **पुल** क: ₹ 1.99 करोड़ और पुल ख: ₹ 17.58 करोड़

[6] **पुल** क: ₹ 1.37 करोड़ (जून 2017) और पुल ख: ₹ 13.72 करोड़ (मार्च 2023)

गांवों के बीच बेहतर परिवहन संपर्कता प्रदान करने के लिए हेसापोडा-कुसुमडीह पथ में दामोदर नदी पर एक उच्च-स्तरीय पुल के निर्माण के लिए ₹ 11.49 करोड़ स्वीकृत किया (मार्च 2018)।

सीई, सीडीओ, ने पहुँच पथ के साथ पुल कार्य के लिए ₹ 15.76 करोड़ की तकनीकी स्वीकृति (टीएस) दी (अप्रैल 2018)। टीएस के अनुसार, रामगढ़ की ओर संपर्क पथ के निर्माण के लिए, 1.20 हेक्टेयर वन भूमि का अधिग्रहण किया जाना आवश्यक था।

कार्यपालक अभियंता (ईई), पथ प्रमंडल, रामगढ़ के अभिलेखों की जांच (सितंबर 2023) से पता चला कि सीई (यातायात), आरसीडी द्वारा कार्य के लिए निविदा आमंत्रित किया गया (नवंबर 2018), जिसे विभागीय निविदा समिति द्वारा ₹ 17.58 करोड़ की लागत पर अंतिम रूप दिया गया (दिसंबर 2018)। तदनुसार, ईई ने जून 2020 तक कार्य को पूरा करने के लिए संवेदक के साथ ₹ 17.58 करोड़ का एक एकरारनामा निष्पादित किया (दिसंबर 2018)। जिला स्तरीय वन अधिकार समिति ने निर्णय लिया (दिसंबर 2018) कि पहुँच पथ के निर्माण के लिए आवश्यक 0.873 हेक्टेयर वन भूमि के लिए एनओसी निर्गत कर दी जाएगी, जैसा कि प्रमंडल द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने पर अनुमंडल स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा निर्धारित किया जाएगा। हालांकि, ईई ने फरवरी 2024 तक ऑनलाइन आवेदन जमा नहीं किया। इसके विपरीत, ईई ने केवल 0.10 हेक्टेयर (0.25 एकड़) वन भूमि के लिए, और 11 पेड़ों को काटने की अनुमति के साथ, एनओसी निर्गत करने के लिए, वन प्रमण्डल पदाधिकारी (डीएफओ), रामगढ़ को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया (अगस्त 2023)। डीएफओ ने प्रस्ताव में कमियाँ पाई, क्योंकि आवेदन में वर्णित क्षेत्र, मूल्यांकित वन भूमि 0.893 हेक्टेयर से कम था, और ईई को कमियों का अनुपालन करने को कहा (जनवरी 2024)।

संवेदक ने दामोदर नदी पर पुल का कार्य पूर्ण कर लिया (मार्च 2023) और उसे ₹ 13.72 करोड़ का भुगतान किया गया (जुलाई 2023 तक)। कार्य निष्पादन के दौरान, ग्रामीणों ने, वर्षा ऋतु में अपने खेतों में जल जमाव को रोकने के लिए, बोकारो की ओर पहुँच पथ में एक बॉक्स पुलिया के निर्माण की मांग की। ईई ने ₹ 75 लाख की अनुमानित लागत पर, बॉक्स पुलिया के निर्माण के लिए, मुख्य अभियंता (यातायात) को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया (अप्रैल और नवंबर 2023), जिसे अभियंता-प्रमुख, आरसीडी द्वारा स्वीकृत किया गया (15 मार्च 2024)। हालांकि, 16 मार्च 2024 से मॉडल आचार संहिता (आम संसदीय चुनाव) शुरू होने के कारण, निविदा आमंत्रित नहीं की जा सकी।

प्रमंडल के प्रभारी अभियंता के साथ लेखापरीक्षा द्वारा किए गए संयुक्त भौतिक सत्यापन (सितंबर 2023) के दौरान, यह देखा गया कि दोनों ओर पहुँच पथों का निर्माण शुरू नहीं किया गया था, जैसा कि **चित्र 3.1** और **3.2** में देखा जा सकता है।

चित्र 3.1 (बोकारो की ओर) **चित्र 3.2 (रामगढ़ की ओर)**

हेसापोडा-कुसुमडीह रोड पर दामोदर नदी पर उच्च स्तरीय पुल (06 सितंबर 2023)

इस प्रकार, पुल के निर्माण पर किया गया व्यय निष्फल रहा (जुलाई 2024)।

उत्तर में, ईई ने कहा (जुलाई 2024) कि रामगढ़ की ओर पहुँच पथ के निर्माण के लिए, वन विभाग से एनओसी प्राप्त करने की प्रक्रिया चल रही है, जबकि बोकारो की ओर बॉक्स पुलिया के निर्माण के लिए निविदा आमंत्रित की जाएगी।

ईई का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि संहिता के प्रावधानों और विभागीय निर्देशों का उल्लंघन कर, प्रमंडल ने आवश्यक भूमि का अधिग्रहण सुनिश्चित किए बिना पुल का निर्माण कार्य शुरू कर दिया था।

(ख) बोकारो जिले में गवई नदी के ऊपर पहुँच पथ के साथ उच्च स्तरीय (एचएल) पुल का निर्माण।

बोकारो जिले के बहादुरपुर-कसमार-पेटरवार-पश्चिम बंगाल सीमा (बीकेपीडब्ल्यूबी) पथ के 22.05 किलोमीटर की श्रृंखला में गवई नदी पर पहुँच पथ (400 मीटर) के साथ एक उच्च स्तरीय (एचएल) पुल के निर्माण के लिए सीई, सीडीओ, आरसीडी, झारखण्ड द्वारा ₹ 2.30 करोड़ की तकनीकी स्वीकृति (सितंबर 2014) और आरसीडी, झारखण्ड सरकार द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति दिया गया (जून 2015)। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) के अनुसार, छः मीटर के आवागमन मार्ग के साथ एचएल पुल, मौजूदा निम्न स्तरीय और जलमग्न पुल को बदलने के लिए आवश्यक था। यह आवश्यक था, क्योंकि बीकेपीडब्ल्यूबी पथ (लंबाई 33.30 किमी) का चौड़ीकरण और मजबूतीकरण किया जाना था और मौजूदा पुल वर्षा ऋतु के दौरान सर्व-ऋतु यातायात को बाधित करता। यह भी देखा गया कि संपर्क पथों के लिए भूमि अधिग्रहण के प्रावधान के लिए, बीकेपीडब्ल्यूबी पथ के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण की आवश्यकता के साथ-साथ आकलन किया गया और तदनुसार, 29 गांवों/मौजा[7] की 54.03 एकड़ भूमि अधिग्रहण के लिए आवश्यक थी।

कार्यपालक अभियंता (ईई), आरसीडी, पथ प्रमंडल, बोकारो के अभिलेखों की जांच (फरवरी 2020 और मार्च 2024) से पता चला कि निविदा के पश्चात (जुलाई 2015), पुल का निर्माण कार्य ₹ 1.99 करोड़ में एक संवेदक को सौंपा गया (सितंबर 2015)।

[7] कसमार ब्लॉक (बोकारो जिला) के मौजा-मुरहुलसूदी में स्थित प्रस्तावित एचएल ब्रिज

तत्पश्चात, अक्टूबर 2016 तक कार्य को पूरा करने के लिए संवेदक के साथ ₹ 1.99 करोड़ का एक एकरारनामा निष्पादित किया गया (अक्टूबर 2015)।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि पुल निर्माण के दौरान, ईई ने उपायुक्त (डीसी), बोकारो को आवश्यक 54.03 एकड़ भूमि के अधिग्रहण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था (नवंबर 2015 और जुलाई 2016 के बीच)। हालांकि, प्रस्ताव अधूरा होने के कारण, अधिग्रहण प्रक्रिया में देरी हुई। ईई ने जिला भू-अर्जन पदाधिकारी (डीएलएओ), बोकारो को मांग पर (अगस्त 2018) ₹ 19.54 करोड़ हस्तांतरित कर दिए थे (मार्च 2019)। डीएलएओ ने मुरहुलसुदी मौजा में 2.13 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के संबंध में घोषणापत्र निर्गत की (अक्टूबर 2019), जो पहुँच पथों के निर्माण के लिए आवश्यक था। हालांकि, भूमि को कब्जे में नहीं लिया जा सका, क्योंकि भू-स्वामियों ने मार्च 2024 तक मुआवजे के लिए अपना दावा प्रस्तुत नहीं किया था। इस प्रकार, पहुँच पथों का निर्माण शुरू नहीं किया जा सका।

इस बीच, संवेदक ने ₹ 1.37 करोड़ की लागत से पुल का निर्माण कार्य पूरा कर लिया (जून 2017) और ईई से एकरारनामा को बंद करने का अनुरोध किया (फरवरी 2018 और जून 2019 के बीच) क्योंकि पहुँच पथों के लिए भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया था। तदनुसार, अभियंता-प्रमुख, आरसीडी ने भूमि की अनुपलब्धता के आधार पर एकरारनामा को समय-पूर्व बंद करने का आदेश दिया (अगस्त 2022)। हालांकि, विभाग[8] द्वारा समय-विस्तार (ईओटी) के अनुमोदन (अप्रैल 2024) और शेष कार्य सहित पूरे कार्य के लिए ₹ 2.60 करोड़ के पुनरीक्षित टीएस के अनुमोदन (जुलाई 2023) के बाद, जुलाई 2024 में ही एकरारनामा को बंद किया जा सका। इस प्रकार, पहुँच पथ के अभाव में, पुल को जून 2017 में इसके पूरा होने के बाद से छः वर्ष से अधिक समय तक उपयोग में नहीं लाया जा सका। प्रमंडल के प्रभारी इंजीनियर के साथ लेखापरीक्षा द्वारा किए गए संयुक्त भौतिक सत्यापन (मार्च 2024) के दौरान पुल अप्रयुक्त पड़ा पाया गया, जैसा कि **चित्र 3.3 से 3.5** में देखा जा सकता है।

चित्र 3.3

सीएच 22.050 कि.मी. में गवई नदी पर निर्मित एचएल पुल (06 मार्च 2024)

[8] सचिव, आरसीडी द्वारा दिया गया ईओटी और सीई, सीडीओ, आरसीडी द्वारा दिए गए टीएस को संशोधित किया।

चित्र 3.4	चित्र 3.5
पुल के दोनों छोर से संपर्क पथ के बिना एचएल पुल (06 मार्च 2024)	

जवाब में, ईई ने कहा (जुलाई 2024) कि संपर्क पथ के निर्माण सहित शेष कार्य के लिए, ₹ 1.24 करोड़ की अनुमानित लागत पर 19 जून 2024 को निविदा आमंत्रित की गई थी। निविदा को अंतिम रूप देने के बाद, शेष कार्य पूरा हो जाएगा।

ईई का जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि संहिता के प्रावधानों और विभागीय निर्देशों का उल्लंघन कर, प्रमंडल ने आवश्यक भूमि का अधिग्रहण सुनिश्चित किए बिना पुल का निर्माण कार्य शुरू कर दिया था।

इस प्रकार, संपर्क पथों के निर्माण के लिए आवश्यक भूमि के अधिग्रहण के बिना पुल का निर्माण कार्य शुरू करने के कारण, उपर्युक्त पुलों के निर्माण पर हुआ ₹ 15.09 करोड़ का व्यय निष्फल हो गया, क्योंकि एलडब्ल्यूई से प्रभावित कठिन और दूर-दराज क्षेत्र को संपर्कता प्रदान करने का परियोजना का उद्देश्य अप्राप्त रहा।

ग्रामीण विकास विभाग

3.1.3 मॉल के लिए भवन निर्माण पर निष्फल व्यय

बोकारो जिले के चंदनकियारी प्रखण्ड में एक मॉल के लिए निर्मित भवन का उपयोग नहीं किया जा सका, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 5.09 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

ग्रामीण विकास विभाग[9] (विभाग), झारखण्ड सरकार (जीओजे), ने एक बैठक (जनवरी 2014) में लिए गए निर्णयों के आधार पर जिला परिषद् (जेडपी), बोकारो की आय बढ़ाने के उद्देश्य से बोकारो जिले के चंदनकियारी और चास प्रखण्ड में मॉल (मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स) के निर्माण के लिए एक योजना को स्वीकृति दी। तदनुसार, विभाग ने, मुख्य अभियंता, ग्रामीण विकास, विशेष प्रक्षेत्र, राँची द्वारा दी गई तकनीकी स्वीकृति (जुलाई 2014) के आधार पर, ₹ 4.82 करोड़ प्रत्येक के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया (अगस्त 2014)। चंदनकियारी प्रखण्ड में मॉल के निर्माण का कार्य, निविदा के आधार पर ₹ 5.16 करोड़ की सहमत मूल्य पर एक संवेदक को सौंपा गया (अक्टूबर 2014) और ₹ 5.09 करोड़ की लागत से मार्च 2018 में पूर्ण

[9] पूर्ववर्ती पंचायती राज और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (विशेष प्रमण्डल) विभाग

कर लिया गया था। कार्य पूर्ण होने के पश्चात, उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, जेडपी, बोकारो ने, मॉल में दुकानों एवं हॉलों की नीलामी/आवंटन के लिए, दैनिक समाचार-पत्रों में 19 सार्वजनिक सूचना (फरवरी 2018 और सितंबर 2023 के बीच) प्रकाशित किया।

जेडपी, बोकारो के अभिलेखों की जांच के दौरान लेखापरीक्षा में पाया गया कि जेडपी, बोकारो ने ₹ तीन करोड़ की सुरक्षा जमा और ₹ तीन लाख के मासिक किराए के साथ चास और चंदनकियारी प्रमंडलों में मॉल की नीलामी के लिए एक सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की थी (फरवरी 2018)। एक वर्ष बाद, दोनों मॉलों के लिए सुरक्षा जमा राशि को घटाकर ₹ 2.68 करोड़ कर दिया गया (फरवरी 2019)। आगे, जेडपी की बैठक (मई 2019) में लिए गए निर्णय के अनुसार, चास और चंदनकियारी में मॉल के लिए पूर्व-निर्धारित न्यूनतम सुरक्षा राशि को फिर से घटाकर क्रमशः ₹ 2.13 करोड़ और ₹ 1.48 करोड़ कर दिया गया था। हालांकि, चंदनकियारी मॉल के लिए कोई आवेदन (जुलाई 2019) प्राप्त नहीं हुआ था। फरवरी 2019 से जून 2020 के दौरान, सार्वजनिक सूचनाओं में मॉल के लिए मासिक किराया प्रकाशित नहीं किया गया था, परन्तु बोलीदाताओं को आकर्षित करने के लिए, बाद में विभिन्न सार्वजनिक सूचनाओं (**परिशिष्ट 3.1** में विस्तारित) के माध्यम से, मॉल के लिए सुरक्षा राशि को और कम, ₹ 89 लाख (जुलाई 2019 में) और अक्टूबर 2023 में ₹ 10 लाख तक, किया गया। अंत में, एक एजेंसी (मेसर्स ब्लैक पैंथर गार्ड एंड सर्विसेज प्रा. लिमिटेड.) से प्राप्त प्रस्ताव (सितंबर 2023) के आधार पर पूरे मॉल के आबंटन के लिए, जेडपी, बोकारो द्वारा अपनी बैठक (नवंबर 2023) में तकनीकी रूप से एकल योग्य बोलीदाता को ₹ 1.43 लाख के मासिक किराए पर, एक वर्ष के लिए ₹ 10 लाख की सुरक्षा जमा के साथ मॉल आबंटित करने का निर्णय लिया गया (दिसंबर 2023)। लेखापरीक्षा में पाया गया कि एजेंसी द्वारा ₹ 50,000 का डिमांड ड्राफ्ट जमा किया गया था (नवंबर 2023) और एजेंसी को मॉल सौंपने के लिए एजेंसी के साथ सुरक्षा जमा और बातचीत की जा रही थी (मई 2024)। इस प्रकार, जेडपी द्वारा एजेंसी को मॉल नहीं सौंपा गया था और मई 2024 तक उपयोग में नहीं लाया गया था।

पूछे जाने पर, जेडपी बोकारो ने कहा (मार्च 2024) कि क्षेत्र में उद्योग की स्थापना के कारण अपेक्षित वाणिज्यिक गतिविधि और आवासीय आवश्यकताओं के मद्देनजर चंदनक्यारी में एक मॉल बनाने का निर्णय लिया गया था। हालांकि, यह देखा गया कि मॉल के लिए चुनी गई साइट 90 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्र में आती है। इसके अलावा, जेडपी, बोकारो द्वारा मॉल की स्थापना के लिए वाणिज्यिक व्यवहार्यता का कोई आकलन किए बिना निर्णय लिया गया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया (05 मार्च 2024) कि लंबे समय तक मॉल के गैर-उपयोग और गैर-रखरखाव के कारण भवन की स्थिति खराब हो गई थी, जैसा कि मॉल के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान देखा गया (**चित्र 3.6** से **3.9**)।

चित्र 3.6	चित्र 3.7
चित्र 3.8	**चित्र 3.9**

दीवारों, रेलिंग, सीढ़ियों के दरवाजों और खिड़कियों को नुकसान दिखाते हुए मॉल भवन (संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान 05 मार्च 2024 को ली गई तस्वीरें)

भौतिक सत्यापन (5 मार्च 2024) के दौरान पाया गया कि भवन की दीवारें, फर्श, सीढ़ियाँ, रेलिंग, खिड़कियाँ आदि क्षतिग्रस्त थीं। इसके अलावा, इमारत में लगाए गए 66 सीलिंग पंखे की चोरी होने की सूचना प्राप्त हुई। क्षतिग्रस्त दीवारों / फर्श / सीढ़ियों आदि की मरम्मत के लिए जेडपी, बोकारो द्वारा कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई थी, और चोरी किए गए पंखों के लिए कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई थी।

अतः चंदनक्यारी में मॉल निर्माण के लिए इसकी वाणिज्यिक व्यवहार्यता का आकलन किए बिना स्थल का चयन किया गया, फलस्वरूप इसके पूरा होने (मार्च 2018) के बाद से मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स का उपयोग नहीं हुआ, और इसके निर्माण पर ₹ 5.09 करोड़ का व्यय निष्फल रहा।

3.1.4 वेब-आधारित लेखांकन प्रबंधन प्रणाली के विकास पर निष्फल व्यय

वेब-आधारित लेखांकन प्रबंधन प्रणाली के गैर-कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप ₹ 1.77 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

ग्रामीण विकास विभाग (विभाग), झारखण्ड सरकार (झा.स.) ने झारखण्ड एजेंसी फॉर प्रोमोशनल टेक्नोलॉजी (जैप-आईटी) द्वारा विकसित ईआरपी सॉफ्टवेयर "वेब-आधारित लेखांकन प्रबंधन प्रणाली (डब्ल्यूएएमएस)" के माध्यम से जिला ग्रामीण विकास

अभिकरणों (डीआरडीए) और प्रखण्ड कार्यालयों के लेखाओं के ऑनलाइन संधारण के लिए योजना को स्वीकृति दी (जुलाई 2015)। यह एप्लिकेशन (डब्ल्यूएएमएस) राज्य के सभी 24 जिलों, 24 जिला परिषदों और 265 प्रखण्डों में लागू किया जाना था। एप्लिकेशन में ट्रैकिंग, निगरानी, लेखाओं का बैंकों और कोषागारों के साथ एकीकरण और लेखांकन के लिए विभिन्न विशेषताएँ इत्यादि शामिल थीं। तदनुसार, जैप-आईटी ने ₹ 1.89 करोड़ की परियोजना का प्रस्ताव तैयार किया (अक्टूबर 2015), जिसे 24 माह के अन्दर पूरा किया जाना था, जिसमें विकास, कार्यान्वयन, सहायता और रख-रखाव आदि कार्य सम्मिलित थे।

विभाग के प्रधान सचिव ने प्रस्तावित परियोजना लागत के लिए ₹ 1.83 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी (नवंबर 2015) और निर्देश दिया (नवंबर 2015) कि परियोजना का कार्यान्वयन विभाग तथा जैप-आईटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पर्यवेक्षण और नियंत्रण में किया जाएगा। विभाग ने इस परियोजना के लिए जैप-आईटी को दो किस्तों[10] में ₹ 1.83 करोड़ प्रदान किए (दिसंबर 2015 और अगस्त 2017) जिसके विरुद्ध ₹ 1.77 करोड़ खर्च किए गए थे (फरवरी 2019 तक)।

प्रस्तावित परियोजना के अनुसार, एक ही या विभिन्न जिलों के दो प्रखण्डों में सफल पायलट अध्ययन के बाद एप्लिकेशन का कार्यान्वयन शुरू किया जाना था। तत्पश्चात, आठ जिलों को आच्छादित किया जाना था, जहां प्रशिक्षकों द्वारा जिला स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित किया जाना था। जिला स्तर पर डेटा एंट्री ऑपरेटरों और कार्यान्वयन अधिकारियों द्वारा कर्मियों को व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करने और एप्लिकेशन का उपयोग शुरू करने में सहायता करनी थी।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (जून 2022) में पाया गया कि विभाग ने पायलट आधार पर 21 अक्टूबर 2016 से डब्ल्यूएएमएस के माध्यम से लेखाओं के ऑनलाइन संधारण के लिए राँची जिले में नगड़ी प्रखण्ड का चयन किया (अक्टूबर 2016)। जैप-आईटी ने विभाग से पायलट/प्रारंभिक कार्यान्वयन के लिए 10 प्रखण्डों की पहचान करने का भी अनुरोध किया था (मार्च 2017) ताकि एप्लिकेशन की सटीकता, उपयोगिता और निष्पादन का पता लगाया जा सके। प्रत्युत्तर में, विभाग द्वारा नगड़ी प्रखण्ड सहित छः प्रखण्डों[11] की पहचान (मार्च 2017) की गई और जैप-आईटी की डब्ल्यूएएमएस दल द्वारा प्रखण्ड कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। हालाँकि, जैप-आईटी इस पायलट कार्यान्वयन के परिणाम का आकलन नहीं कर सका क्योंकि इसे उपयोगकर्ताओं से कोई प्रतिपुष्टि नहीं मिली। इसलिए इसने विभाग को सूचित किया (16 मार्च 2017) कि डब्ल्यूएएमएस एप्लिकेशन या तो शुरू नहीं हुआ था या केवल पायलट प्रखण्डों द्वारा आंशिक रूप से उपयोग किया जा रहा था और विभाग

[10] जैप-आईटी को ₹ 1.08 करोड़ की पहली किस्त दिसंबर 2015 में निर्गत की गई थी और ₹ 0.75 करोड़ की दूसरी किस्त अगस्त 2017 में निर्गत की गई।

[11] नगड़ी, बेड़ो, बुंडू, कांके (रांची जिला), कुडु (लोहरदगा जिला) और हजारीबाग सदर ब्लॉक (हजारीबाग जिला)।

से अनुरोध किया कि प्रखण्ड को एप्लिकेशन का उपयोग करने और जैप-आईटी को अपनी प्रतिपुष्टि संप्रेषित करने का निर्देश दें ताकि सभी प्रखण्डों में डब्ल्यूएएमएस लागू किया जा सके।

विभाग ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को 1 अप्रैल 2017 से डब्ल्यूएएमएस का उपयोग करते हुए प्रखण्ड कार्यालयों के लेखों को ऑनलाइन संधारित करने का निर्देश दिया था (मार्च 2017) और प्रखण्ड स्तरीय कर्मचारियों के लिए (अप्रैल 2017 और जून 2017 के बीच) प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। तत्पश्चात, जैप-आईटी द्वारा परियोजना की अपर्याप्त मानव-बल, अनियमित अनुश्रवण और मूल्यांकन का हवाला देते हुए विभाग ने विभागीय स्तर पर परियोजना शुरू करने और शेष कार्यों[12] को पूरा करने का निर्णय लिया (जनवरी 2018) और जैप-आईटी को निर्देश दिया कि परियोजना, विभाग को हस्तगत कर दे। जैप-आईटी ने पाँच सर्वरों और परियोजना के लिए नियुक्त डब्ल्यूएएमएस दल के साथ, परियोजना, विभाग को हस्तगत कर दिया (मई 2018)। विभाग ने, डब्ल्यूएएमएस दल (पाँच सदस्यों का) की सेवाओं को, 1 जून 2018 से 31 मार्च 2019 अथवा परियोजना के पूरा होने की तिथि, जो भी पहले हो, तक जारी रखने की अनुमति दी (जून 2018)। आगे, लेखापरीक्षा ने यह भी पाया गया कि परियोजना हस्तगत करने के बाद भी, विभाग, जिला या प्रखण्ड स्तर पर, एप्लिकेशन के माध्यम से कोई कार्य नहीं किया जा रहा था और लेखाओं का संधारण मैनुअल रूप से किया जा रहा था।

विभाग ने अपने उत्तर (मार्च 2024) में कहा कि डब्ल्यूएएमएस एप्लिकेशन को प्रखण्डों में कार्य करने वाले मानव-बल के माध्यम से संचालित करना अपेक्षित था। वहाँ कार्यरत कर्मियों की अक्षमताओं और बाधाओं के कारण, एप्लिकेशन में प्रविष्टियाँ नहीं की गई थीं और इस तरह, वर्तमान में एप्लिकेशन अकार्यात्मक है। विभाग ने यह भी कहा कि, चूंकि डब्ल्यूएएमएस को ईआरपी के पुराने संस्करण में विकसित किया गया था, इसलिए इसे अनुरूप बनाने के लिए अद्यतित करना आवश्यक था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग ने, परियोजना को वर्तमान रूप में इसकी उपयोगिता सुनिश्चित किए बिना ही, अधिकार में ले लिया और आवश्यकतानुसार, अग्रेतर सुधार तथा कर्मियों द्वारा एप्लिकेशन के उपयोग कराने के लिए, डब्ल्यूएएमएस दल की सेवाओं को उपयोग में लाने में भी विफल रहा। तथ्य यह है कि झारखण्ड के किसी भी प्रखण्ड में डब्ल्यूएएमएस एप्लिकेशन संचालित नहीं किया जा सका।

परिणामतः डब्ल्यूएएमएस के विकास पर किए गए ₹ 1.77 करोड़ का व्यय निष्फल रहा।

[12] सभी जिलों/जिला परिषदों/प्रखण्डों में कार्यान्वयन, समर्थन और रखरखाव

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

3.1.5 छंटाई श्रेणीकरण सुविधाओं और शीतागार के निर्माण पर निष्फल व्यय

जनवरी और जून 2014 के बीच ₹ 3.67 करोड़ की लागत से निर्मित 16 शीतागार और छंटाई श्रेणीकरण सुविधाओं को चालू नहीं किया गया, जिससे व्यय निष्फल रहा।

झारखण्ड राज्य कृषि विपणन पार्षद (जेएसएएमबी) की स्थापना (मार्च 2001), राज्य के कृषि उत्पाद बाजार समितियों (एपीएमसी) के माध्यम से, अपने हितधारकों को विपणन सुविधाएं और उत्पादकों को लाभकारी मूल्य प्रदान करने के लिए की गई थी। जेएसएएमबी ने सीमांत किसानों को, विशेष रूप से बागवानी में शामिल, बेहतर विपणन सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से, कृषि उपजों के शीत-भंडारण और संरक्षण के लिए, राज्य के अंतर्गत एकीकृत शीतागार प्रणाली के विकास, संचालन और रख-रखाव के लिए एक परियोजना भी शुरू की थी।

परियोजना में (i) कृषि उपज के उचित रख-रखाव के लिए वैज्ञानिक भंडारण, संरक्षण, प्रसंस्करण और फसल कटाई पश्चात हथालन अवसंरचनाओं का निर्माण (ii) राज्य में मौजूदा भंडारण और प्रसंस्करण क्षमता का संवर्धन और (iii) वैज्ञानिक भंडारण और प्रसंस्करण पद्धति को बढ़ावा देना और राज्य में एकीकृत शीतागार प्रणाली को लोकप्रिय बनाना शामिल था।

प्रबंध निदेशक (एमडी), जेएसएएमबी द्वारा 18 शीतागार इकाइयों[13] के निर्माण हेतु ₹ 4.21 करोड़ (प्रत्येक इकाई के लिए ₹ 23.52 लाख[14]) का प्रशासनिक स्वीकृति (मई 2010), अधीक्षण अभियंता (एसई), जेएसएएमबी द्वारा दी गई तकनीकी स्वीकृति के आधार पर दिया गया था। इन इकाइयों के निर्माण के लिए, 33.33 प्रतिशत निधि, राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम) के तहत प्राप्त किया गया था और शेष 66.67 प्रतिशत एपीएमसी द्वारा प्रदान किया जाना था, जहां इन इकाइयों की स्थापना की जानी थी। सभी 18 इकाइयों के निर्माण के लिए कार्यादेश, कार्यपालक अभियंता (ईई), जेएसएएमबी, राँची द्वारा, आदेश निर्गत करने की तारीख से छः माह के अंदर कार्य को पूरा करने की शर्त के साथ, एक संवेदक[15] को निर्गत किए गए थे (मार्च 2012 और मई 2012)।

जेएसएएमबी के अभिलेखों की जांच (अक्टूबर 2020) और संबंधित एपीएमसी से एकत्र की गई (नवंबर 2022 और जनवरी 2023) सूचनाओं से पता चला कि 16 इकाइयों के निर्माण के लिए ईई, जेएसएएमबी, राँची को ₹ 3.67 करोड़ (एपीएमसी

---

[13] राँची में आठ शीतगार इकाई, रामगढ़ में दो इकाई और लोहरदगा, जमशेदपुर, गुमला, सिमडेगा, देवघर, हजारीबाग, बेरमो और दुमका में एक-एक इकाई

[14] सिविल और इलेक्ट्रिकल कार्यः ₹ 3.72 लाख; मल्टीपल फ्रूट-वेज श्रेणीकरण इकाईः ₹ 13.40 लाख; 5 एमटी का शीतगृहः ₹ 4.35 लाख; जेनसेट 7.5 केवीएः ₹ 1.42 लाख; वजन तौलने की मशीनः ₹ 0.34 लाख; आकस्मिकता 5 प्रतिशतः ₹ 0.29 लाख

[15] मेसर्स एयर कंट्रोल एंड केमिकल इंजिनियरिंग कम्पनी लिमिटेड, कोलकाता

से ₹ 2.72 करोड़ और एनएचएम से ₹ 0.95 करोड़) उपलब्ध कराए गए थे। शेष दो इकाइयों (बेड़मो और दुमका) का निर्माण, भूमि की अनुपलब्धता के कारण (जनवरी 2023) शुरू नहीं किया जा सका। 16 इकाइयों का निर्माण, ₹ 3.67 करोड़ की लागत से, पूर्ण हो चुका था (जनवरी और जून 2014 के बीच)। तत्पश्चात, एसई, जेएसएएमबी ने सचिव, जेएसएएमबी से अनुरोध किया (नवंबर 2013) कि उपकरण निर्माता द्वारा प्रशिक्षित होने के लिए शीतागार इकाइयों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) से प्रशिक्षित पेशेवरों को तैनात किया जाए। प्रत्येक निर्मित इकाई की सुरक्षा के लिए सुरक्षा गार्ड की भी मांग की गई। जेएसएएमबी से यह भी अनुरोध किया गया था कि वह उपकरणों के निष्क्रिय पड़े रहने कारण संभावित नुकसान से बचाव के लिए इकाइयों को संचालित रखे। जवाब में, प्रबंध निदेशक, जेएसएएमबी ने एक तीन सदस्यीय समिति[16] का गठन किया (जनवरी 2014) और शीतागारों के संचालन पर एक विस्तृत प्रतिवेदन देने को कहा (जनवरी 2014)। हालांकि, आईटीआई प्रशिक्षित पेशेवरों अथवा सुरक्षा गार्डों की तैनाती के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई और शीतागारों के संचालन पर विस्तृत प्रतिवेदन अभिलेखों में नहीं था।

चूंकि स्थानीय किसानों ने अपने उत्पादों को संरक्षित करने के लिए शीतागार सुविधाओं में रुचि नहीं दिखाई और अपने उत्पादों को सीधे बाजार में बेचने लगे, इसलिए एमडी, जेएसएएमबी ने झारखण्ड स्टेट आदिवासी को-ऑपरेटिव वेजिटेबल मार्केटिंग फेडेरेशन लिमिटेड (वेजफेड) के माध्यम से शीतागार इकाइयों को संचालित करने का निर्णय लिया (सितंबर 2016) और संबंधित एपीएमसी के सचिवों को वेजफेड के क्षेत्राधिकार में आने वाले सब्जी उत्पादक सहकारी समितियों (वीपीसीसी) को इन इकाइयों को सौंपने का निर्देश दिया। यह देखा गया कि वेजफेड के कई अनुरोधों के बावजूद, किसी भी एपीएमसी ने, वीपीसीसी को इकाइयां नहीं सौंपी थीं (जनवरी 2023)। यद्यपि, एमडी, वेजफेड ने कृषि निदेशक, झारखण्ड से अनुरोध किया था (अप्रैल 2020) कि वे निर्मित इकाइयों को सौंपने के लिए एपीएमसी को अग्रेतर अनुदेश जारी करें, तथापि, इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई।

इकाइयों की भौतिक स्थिति का पता लगाने के लिए विपणन पार्षद के अधिकारियों के साथ लेखापरीक्षा द्वारा 16 शीतागार इकाइयों का एक संयुक्त भौतिक सत्यापन किया गया (नवंबर 2022 और जनवरी 2023)। भौतिक सत्यापन के दौरान देखा गया कि सभी 16 निर्मित इकाइयां बेकार और चिंताजनक स्थिति में पड़ी थीं, जैसा कि **चित्र 3.10** से **3.13** में दर्शाया गया है।

[16] एसई, जेएसएएमबी, निदेशक, जेएसएएमबी और संबंधित एपीएमसी के सचिव

चित्र 3.10	चित्र 3.11
पिठोरिया में क्षतिग्रस्त शीतागार इकाई (30 नवंबर 2022)	*लोहरदग्गा में क्षतिग्रस्त शीतागार इकाई (10 जनवरी 2023)*
चित्र 3.12	**चित्र 3.13**
मांडर में क्षतिग्रस्त शीतागार इकाई (23 नवंबर 2022)	*गुमला में शीतागार इकाई की खराब स्थिति (12 जनवरी 2023)*

उत्तर में, सचिव, जेएसएएमबी ने कहा (मार्च 2024) कि प्रशिक्षित/तकनीकी कर्मचारियों की अनुपलब्धता के कारण शीतागार इकाइयों को संचालित नहीं किया गया। शीतागार के संचालन की जिम्मेदारी वेजफेड को देने का निर्णय लिया गया था, परन्तु हस्तगत करने की प्रक्रिया में विलंब के कारण, वे इसे संचालित करने में रुचि नहीं ले रहे थे।

इसलिए, तथ्य यह है कि जेएसएएमबी, निर्मित शीतागार इकाइयों को वेजफेड को हस्तगत करवाने में विफल रहा और इकाइयों में संस्थापित उपकरण अनुपयोगी हो गए।

अतः, 16 शीतागार इकाइयों को पूर्ण/स्थापित होने के नौ वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी, इसे संचालित करने में जेएसएएमबी, एपीएमसी और विभागीय (नियंत्रण) अधिकारियों की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 3.67 करोड़ का व्यय निष्फल हो गया। इसके अलावा, शीतागार इकाइयों को स्थापित करके, खराब होने वाली कृषि उत्पाद के लिए, आधुनिक और वैज्ञानिक भंडारण की सुविधा के माध्यम

से, सीमांत किसानों को बेहतर विपणन सुविधाएं प्रदान करने का इच्छित उद्देश्य भी प्राप्त नहीं हुआ।

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

3.1.6 50 बिस्तरों वाले ग्रामीण अस्पताल भवन के निर्माण पर निष्फल व्यय

पूर्वी सिंहभूम जिले के धालभूमगढ़ प्रखण्ड में 50 बिस्तरों वाले ग्रामीण अस्पताल भवन के निर्माण पर ₹ 1.55 करोड़ का व्यय निष्फल रहा, क्योंकि इसके निर्माण के तीन वर्ष से अधिक समय के पश्चात भी अस्पताल का संचालन नहीं हुआ।

जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने, भारत के संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए झारखण्ड सरकार को ₹ 83.31 करोड़ की सहायता अनुदान निर्गत किया (सितंबर 2011)। उक्त अनुदान में से, सचिव, कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार ने पूर्वी सिंहभूम जिले के धालभूमगढ़ प्रखण्ड के तहत कनास पंचायत के एकताल गाँव में 50 बिस्तरों वाले ग्रामीण अस्पताल के निर्माण के लिए ₹ 1.20 करोड़ की स्वीकृति दी (मार्च 2012)। स्वीकृति पत्र (मार्च 2012) के अनुसार, कार्य को निविदा के आधार पर, आदिवासी कल्याण आयुक्त (टीडब्ल्यूसी), राँची/ समेकित अनुसूचित जनजाति विकास अभिकरण (आईटीडीए) द्वारा निष्पादित किया जाना था। सचिव, कल्याण विभाग द्वारा कार्य का पर्यवेक्षण और अनुश्रवण, मासिक आधार पर किया जाना था। कार्य की भौतिक और वित्तीय प्रगति तिमाही आधार पर कल्याण विभाग को प्रस्तुत की जानी थी, और निर्माण कार्य पूरा होने पर, उपयोगिता प्रमाण-पत्र के साथ-साथ तस्वीरें, कल्याण विभाग को प्रस्तुत की जानी थी।

तदनुसार, आदिवासी कल्याण आयुक्त, राँची ने संबंधित आईटीडीए को सूचित किया था (12 अक्टूबर, 2012) कि भवन निर्माण प्रमंडल, जमशेदपुर, को कार्य के निष्पादन हेतु एजेंसी के रूप में चुना गया है। प्रधान सचिव, कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार ने पुनरीक्षित प्राक्कलन के आधार पर ₹ 1.89 करोड़ की पुनरीक्षित स्वीकृति/ प्रशासनिक स्वीकृति भी दी थी (मई 2014)।

कार्यपालक अभियंता (ईई), ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल (आरडीएसडी), जमशेदपुर के अभिलेखों की जांच (मार्च 2023) और परियोजना निदेशक (पीडी), आईटीडीए, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर से एकत्रित जानकारी (फरवरी से अप्रैल 2024) से पता चला कि पीडी ने कार्य के निष्पादन की जिम्मेदारी आरडीएसडी, जमशेदपुर को सौंप दी थी (अगस्त 2014)। तदनुसार, मुख्य अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रक्षेत्र, पूर्वी सिंहभूम ने कार्य को ₹ 1.56 करोड़ की एकारारित मूल्य पर एक संवेदक को सौंप दिया (सितंबर 2014)। तदोपरांत, संवेदक के साथ एक एकरारनामा निष्पादित किया गया (जनवरी 2015) जिसमें कार्य को जुलाई 2016 तक पूर्ण किया जाना निर्धारित था।

संवेदक ने निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया था (जुलाई 2020) जिसके लिए उसे ₹ 1.55 करोड़[17] का भुगतान किया गया। निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात, ईई, आरडीएसडी, ने पीडी, आईटीडीए, पूर्वी सिंहभूम से भवन को अपने कब्जे में लेने का अनुरोध किया (सितंबर 2020)। पीडी, आईटीडीए, पूर्वी सिंहभूम ने, निर्मित भवन के निरीक्षण (दिसंबर 2020) के दौरान पाया कि भवन की नींव सड़क स्तर से नीचे था, जिससे वर्षा ऋतु के दौरान कमरों में जल-जमाव की संभावना थी। इसलिए, पीडी ने ईई, आरडीएसडी, जमशेदपुर से, स्थल सत्यापन के पश्चात एक निरीक्षण प्रतिवेदन देने को कहा। ईई, आरडीएसडी ने, तत्पश्चात (अप्रैल 2021), उप-विकास आयुक्त (डीडीसी), पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर से अस्पताल भवन को अपने कब्जे में लेने का अनुरोध किया, जिसमें कहा गया कि भवन की नींव का स्तर प्राक्कलन के अनुरूप था और स्थल की असमतल स्थिति को देखते हुए, भवन परिसर से वर्षा के जल की निकासी के लिए गड्ढों को काट दिया गया था। तथापि, पीडी, आईटीडीए अथवा डीडीसी, पूर्वी सिंहभूम द्वारा भवन पर कब्जा करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। ईई, आरडीएसडी ने पुन: पीडी, आईटीडीए और डीडीसी, पूर्वी सिंहभूम को सूचित किया (अप्रैल 2021) कि प्रखण्ड विकास अधिकारी, धालभूमगढ़ द्वारा भवन को औपचारिक रूप से अपने अधीन लिए बिना अस्पताल भवन का उपयोग, कोविड आइसोलेशन सेंटर के रूप में किया गया था और यह भी कहा कि इसे हस्तगत करने की प्रक्रिया सुनिश्चित की जानी चाहिए, क्योंकि संवेदक अपने सुरक्षा गार्ड को भवन से पहले ही हटा दिया था, इसलिए भवन और साज-सामान को नुकसान पहुंचने की जिम्मेदारी संवेदक की नहीं होगी। हालांकि, पीडी, आईटीडीए और डीडीसी दोनों ने भवन को अपने अधीन लेने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की।

इस बीच, सिविल सर्जन-सह-मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएस-सह-सीएमओ), जमशेदपुर ने 50 बिस्तरों वाले ग्रामीण अस्पताल भवन के पास एक नवनिर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी), धालभूमगढ़ का निरीक्षण किया (जुलाई 2021) और उपायुक्त (डीसी), पूर्वी सिंहभूम को सूचित किया (जुलाई 2021) कि निर्मित सीएचसी भवन जीर्ण-शीर्ण स्थिति में था और इसे उपयोग में नहीं लाया जा सकता था क्योंकि दरवाजे, खिड़कियां, विद्युत तार आदि हटा दिए गए थे। उन्होंने यह भी प्रस्ताव दिया कि सीएचसी भवन के निकट कल्याण विभाग द्वारा निर्मित ग्रामीण अस्पताल भवन का उपयोग, संपर्क पथ के निर्माण के उपरान्त, सीएचसी के संचालन के लिए किया जा सकता है। ईई, आरडीएसडी, जमशेदपुर ने पीडी, आईटीडीए से सहमति लिए बिना, सीएस-सह-सीएमओ, जमशेदपुर को अस्पताल भवन सौंप दिया (सितंबर 2021)।

हालांकि, सीएस-सह-सीएमओ, जमशेदपुर ने ग्रामीण अस्पताल भवन का उपयोग नहीं किया और स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड को सूचित किया (नवंबर 2023) कि सीएचसी को ग्रामीण अस्पताल को भवन में विभिन्न

[17] दिनांक 30.09.2021 के चौथे चलंत लेखा बिल के माध्यम से भुगतान किया गया।

कारणों जैसे, भवन की जीर्ण-शीर्ण स्थिति, संपर्क पथ का अभाव, वर्षा ऋतु में जल-जमाव और भवन में दरवाजों, पंखे, ग्रिल आदि की अनुपस्थिति से नहीं चलाया जा सकता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि अप्रैल 2024 तक कल्याण विभाग अथवा स्वास्थ्य विभाग द्वारा ग्रामीण अस्पताल भवन को उपयोग में लाने हेतु कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई। लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि जिला कल्याण अधिकारी, जमशेदपुर और पीडी, आईटीडीए, जमशेदपुर ने अस्पताल भवन के एक संयुक्त निरीक्षण (अप्रैल 2024) में पाया कि अस्पताल भवन बिना किसी दरवाजे/खिड़कियों के जीर्ण-शीर्ण स्थिति में था। इसके अलावा, मुख्य सड़क से अस्पताल भवन तक कोई पहुँच पथ नहीं था। भवन को इसके संचालन हेतु नवीनीकरण की आवश्यकता थी, जिसके लिए ₹ 49.82 लाख का प्राक्कलित अनुमान पीडी, आईटीडीए, जमशेदपुर द्वारा अनुमोदन हेतु टीडब्ल्यूसी को प्रस्तुत किया गया था (अप्रैल 2024)।

इस प्रकार, ₹ 1.55 करोड़ की लागत से निर्मित ग्रामीण अस्पताल भवन को, न तो स्वास्थ्य विभाग और न ही कल्याण विभाग, कार्य पूर्ण होने के तीन वर्ष से अधिक समय के पश्चात भी संचालित करने में सक्षम था। आगे, भवन के उपयोग के लिए आईटीडीए, जमशेदपुर और सीएस-सह-सीएमओ, जमशेदपुर के बीच समन्वय की कमी थी, जिससे भवन की स्थिति समय के साथ-साथ जीर्ण-शीर्ण होती गई, जैसा कि **चित्र 3.14 और 3.15** में देखा जा सकता है।

चित्र 3.14	चित्र 3.15
50 बिस्तरों वाले ग्रामीण अस्पताल, धालभूमगढ़ का बेकार/ जीर्ण-शीर्ण भवन (02 फरवरी 2024)	

इस प्रकार, ईई, आरडीएसडी से पूर्ण भवन को अपने अधीन लेने में आईटीडीए जमशेदपुर की असमर्थता और नवनिर्मित ग्रामीण अस्पताल भवन के संचालन हेतु आईटीडीए जमशेदपुर और सीएस-सह-सीएमओ, जमशेदपुर के बीच समन्वय की कमी के कारण ₹ 1.55 करोड़ का व्यय निष्फल हो गया, साथ ही, स्थानीय आबादी को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने का उद्देश्य भी विफल रहा।

उत्तर में, ईई, आरडीएसडी, जमशेदपुर ने कहा (अप्रैल 2024) कि डीसी, जमशेदपुर के मौखिक निर्देश पर, भवन को सीएस-सह-सीएमओ को सौंप दिया गया था (सितंबर 2021)। ग्रामीण अस्पताल के गैर-संचालन के संबंध में, जनजातीय कल्याण आयुक्त, राँची ने कहा (मई 2024) कि अस्पताल को सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड के तहत संचालित किया जाना था।

ईई, आरडीएसडी का उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि भवन को, सीएस-सह-सीएमओ, जमशेदपुर को सौंपने से पहले, कल्याण विभाग/आईटीडीए की सहमति नहीं ली गई थी। टीडब्ल्यूसी, राँची का उत्तर भी स्वीकार्य नहीं है क्योंकि तीन वर्ष से अधिक समय के पश्चात भी पीपीपी मोड के तहत अस्पताल को संचालित करने हेतु कोई कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकी थी।

(इन्दु अग्रवाल)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), झारखण्ड

राँची
दिनांकः 06 जून 2025

प्रतिहस्ताक्षरित

(के. संजय मूर्ति)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांकः 18 जून 2025